(77)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

समक्षः न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सदस्य श्रीमान एस.एस. अली साहब

पुनरीक्षण / निगरानी .क्र. – निगरानी – 4761/2018/ सिवनी /भू.रा. प्रस्तुत दिनांक 06.08.2018

श्री Abhishek Jain Adv. द्वारा आज दि० 7-8-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

राजकुमार चक्रानी आ. भीमनदास चक्रानी उम्र 56 वर्ष
निवासी एम.एल.बी वार्ड सिंधी कॉलोनी तह. व जिला सिवनी
........................पुनरीक्षणकर्ता

– विरुद्ध –

1. म.प्र. शासन
   द्वारा सेकेट्री रेवेन्यू म.प्र. शासन वल्लभ भवनभोपाल म.प्र.
2. जिलाध्यक्ष सिवनी, तह. व जिला सिवनी म.प्र.
3. नजूल अधिकारी, सिवनी तह. व जिला सिवनी
4. विजय कुमार ताम्रकार आ. रामगोपाल ताम्रकार
   निवासी भैरोगंज पृथ्वीराज चौहान वार्ड
   सिवनी तह. व जिला सिवनी

..............................गैर / पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 / 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 न्यायालय श्रीमान अपर कमिशनर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर के अपील क्र. 528 / अपील / 2017–2018 के आदेश दिनांक 3 / 8 / 2018 से दुखी होकर

I. A. Copy file Received 07.08.18

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार विनय है : –

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता महारानी लक्ष्मी बाई भैरोगंज सिवनी तह. व जिला सिवनी का स्थाई निवासी है तथा पुनरीक्षणकर्ता को नजूल ब्लाक नं. –4 / 6, प्लाट नं.–13 / 3, 7 / 1 मे से 450 वर्गफुट भूमि जिस पर दुकान बनी हुई है का अस्थाई पट्टा माननीय जिलाध्यक्ष महोदय सिवनी के द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.–7 / अ–20 / 4 / 1990–91 मे दिनांक 9 / 1 / 1992 को प्रदान किया गया था। उक्त पट्टा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विक्रेता लक्ष्मी प्रसाद आ. मानक लाल नाविक से क्रय किया था तथा नजूल अधिकारी तथा जिला कलेक्टर द्वारा उक्त खरीदी को स्वीकृत कर अस्थाई पट्टा पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष मे वार्षिक भूभाटा 1102 रूपये पर अवधि दिनांक 31 / 3 / 1992 के लिये स्वीकृत किया था। इस स्वीकृत अस्थाई पट्टे की भूमि पर एक दुकान भी निर्मित है तथा वह उस पर काबिज है।

2. यह कि, अस्थाई पट्टेदार / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त पट्टा माननीय नजूल अधिकारी तथा कलेक्टर सिवनी के आदेश से प्राप्त हुआ है तथा अभी भी वर्तमान मे भी पट्टा पुनरीक्षणकर्ता के नाम पर है।

राजकुमार

R- 4761/2018/सिवनी/खुरई

7/8/18	आवेदक अभि० श्री अभिषेक जैन उपस्थित। शासन द्वारा पैनल अभि० श्री अजय चतुर्वेदी उप०। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण मूल- से संबंधित है अतः इस न्यायालय में कार्यक्षेत्र नहीं होने से आवेदक अभि० को [illegible] वापिस किया जावे। प्रकरण इस न्यायालय से समाप्त किया जाता है।	7/8/18
	सही/-	प्रस्तुतकार

07-Aug-18, 12:35 PM